Government Degree College
Ganai Gangoli (Pithoragarh) 262532

Email-gdcganaigangoli@gmail.com Website: www.ganaigangoli.in

प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए आचार संहिता

(CODE OF CONDUCT FOR PRINCIPAL AND TEACHERS)

- ❖ प्राचार्य को शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहना चाहिए। तथा वित्तीय मामलों की कुशलतापूर्वक निगरानी करनी चाहिए।
- ❖ प्राचार्य को महाविद्यालय के विजन और मिशन को क्रियान्वित करने के लिए नीति और योजना बनानी चाहिए और इस हेतु आवश्यकतानुसार महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन करना चाहिए और समन्वयकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
- ❖ प्राचार्य को आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकें बुलानी चाहिए। और शासन तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- ❖ शिक्षकों को अपने पद की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए।
- ❖ शिक्षक को छात्रों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए
- ❖ शिक्षक को संस्थान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए
- ❖ शिक्षक को विद्यार्थी को परामर्श के लिए उपलब्ध रहना चाहिए
- ❖ शिक्षक को बिना पूर्व सूचना के अथवा अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए
- ❖ शिक्षक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार अथवा व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- ❖ प्राचार्य अथवा शिक्षक को जाति, धर्म या धार्मिक विश्वास, रंग, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, यौन उत्पीड़न, लिंग पहचान आदि के आधार पर भेदभाव (शारीरिक या मौखिक आचरण) का कोई भी कार्य निषेध है।

==========∞∞∞==========